कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि जिले में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा माध्यमिक शिक्षा के कार्मिकों को शिक्षण व्यवस्था के नाम पर अन्य विद्यालयों में लगाया जाता है। जबकि विभागीय नियमानुसार माध्यमिक शिक्षा के संस्थापन का कार्य इस कार्यालय के अधीन है। बिना इस कार्यालय के अनुमोदन के माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों को शिक्षण व्यवस्थार्थ लगाया जाना नियमों के विरूद्ध है।

अतः मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के कार्मिकों के किये गये समस्त शिक्षण व्यवस्थार्थ आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाकर समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिकों को उनके मूल पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त कर आदेश की पालना इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। भविष्य में इसकी पुनरावृति होने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव श्रीमान निदेशक महोदय को प्रेषित किये जायेगें।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर

क्रमांक–जिशिअ/मु0माध्य/सी/संस्था–1/2019/ 3038
दिनांक– 15/10/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान् संयुक्त निदेशक (स्कूल–शिक्षा) चूरू संभाग चूरू।
3. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीकर को दी जाकर निवेदन है कि जिले के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को विभागीय नियमानुसार अपने स्तर पर निर्देशित करने का श्रम करावें।
4. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा सीकर।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दी जाकर लेख है कि भविष्य में माध्यमिक शिक्षा के किसी भी कार्मिक को बिना इस कार्यालय के अनुमोदन के व्यवस्थार्थ नही लगाया जाये।
6. संबंधित संस्थाप्रधान को दी जाकर लेख है कि ऐसे कार्मिकों का वेतन मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने पर ही आहरण किया जावे।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर